


कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय जबलपुर में वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कम्पनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 25.01.2020 की सायंकाल 5:30 बजे तक आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रलेख जिला नाजिर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर के पास दिनांक 20.01.2020 सायंकाल 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। निविदा फार्म की कीमत 500/- रु. निर्धारित की गई


वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र.

प्रति,

टेण्डर फार्म नं.....

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जबलपुर म.प्र.

फोटो

मेरे/हमारेद्वारा टेण्डर में संलग्न

नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है, तथा संबंधित नियम एवं शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हूँ/हैं। निविदा फार्म की कीमत 500/- रु. अदा करने के साथ ही उक्त निविदा फार्म अंतिम दिनांक 20.01.2020 को शाम 5:00 बजे तक जमा करने तथा दिनांक 25.01.2020 को सायंकाल 5:30 बजे नीलाम समिति जबलपुर के चैम्बर में आयोजित टेण्डर को खुलवाने के लिए सहमत हूँ/हैं एवं हम उक्त शर्तों एवं नियम को पालन करने हेतु लिखित में सहमति देने हेतु तैयार हैं। शर्तें पूरी ना होने पर बयाना के तौर पर जमा की गई राशि को जब्त होने पर मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं/हम अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत है।

मैं/हम नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में साईकिल स्टैण्ड संचालन हेतु अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिए सहमत है।

मैं/हम द्वारा यह घोषणा की जाती है, कि हमारे द्वारा वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in में उपलब्ध टेण्डर संबंधी समस्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई जोड़, घटाना या बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को ही अंतिम दस्तावेज माना जावेगा एवं यदि हमारे द्वारा दिये गये दस्तावेजों एवं मूल कॉपी में कोई बदलाव पाया जाता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/प्रशासनिक/नीलाम समिति हमारे इकरारनामा को निरस्त करने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है।

मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर के साथ बयाना राशि.....को एफ.डी. आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चैक/बैंक गारण्टी.....दिनांक.....को बंद लिफाफा में जमा किया जावेगा।

टेण्डर राशि.....को हमारे द्वारा डी.डी./चैक नंबर.....दिनांक.....को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए प्रेषित किया जावेगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

गवाह हस्ताक्षर

नाम.....

1.

पता.....

2.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म0प्र0)

:: निविदा विज्ञप्ति ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में 800 वर्गमीटर एरिया में वाहन स्टैण्ड के संचालन के लिये वार्षिक अनुबंध हेतु पृथक लघु निविदा सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से रु 500/- देकर कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक 20.01.2020 सांय 5:00 बजे तक रहेगी। निविदा दिनांक 25.01.2020 सांय 5:30 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

समक्ष :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र.

:: अनुबंध पत्र ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में साईकिल/मोटर साईकिल
स्टैण्ड/कार स्टैण्ड के संचालन हेतु।

जिला न्यायालय भवन परिसर के गेट नं. 04 से जाने वाली बेसमेन्ट के अंदर साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड/कार स्टैण्ड का संचालन किया जाना है, जिसका एरिया 800 वर्गमीटर है, के एक वर्ष की कालावधि वर्ष 2020-2021 के लिये संचालन करने संबंधी शर्तें निम्नानुसार है :-

::शर्तें::

01. साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड/कार/दोपहिया/चार पहिया वाहन स्टैण्ड के अनुबंध की अवधि दिनांक 16 फरवरी 2020 से दिनांक 15 फरवरी 2021 तक की अवधि के लिये रहेगी।
02. दिनांक 15 फरवरी 2021 तक या उसके पूर्व निविदा कार्यवाहियां पूर्ण कर साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड/कार स्टैण्ड का ठेका दिया जाना सुनिश्चित होगा।
03. साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड/कार/दोपहिया/चार पहिया वाहन स्टैण्ड के अनुबंध के लिये न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग 1 जबलपुर से निर्धारित किया गया होगा जो अनुबंध निष्पादन के सम्पूर्ण वर्ष भर में चार समान किश्तों में देय होगा, जिसमें से प्रथम किश्त अनुबंध के निष्पादन की तिथि पर, द्वितीय किश्त 15 मई 2020, तृतीय किश्त 15 अगस्त 2020 एवं चतुर्थ किश्त 15 नवंबर 2020 तक अग्रिम के रूप में प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को अदा कराना होगा।
04. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ स्टैण्ड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अंतिम बोली की राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।
05. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 25000 रुपये की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, जबलपुर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में

प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा किंतु सफल निविदाकर्ता 50,000/- रूपए का बैंक का एफ.डी.आर. प्रस्तुत करेगा, जो अमानत राशि के रूप में अनुबंध की अवधि तक रखी जायेगी। उक्त एफ.डी.आर. निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप से उल्लंघन किए जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा समपहत की जा सकेगी। एफ.डी.आर. जमा करने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा के समय जमा किया गया 25000/- रूपए का डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

06. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुबंध अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
07. जिस निविदाकर्ता की बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि अनुबंध की कंडिका 03 के अनुसार जमा करनी होगी, अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।
08. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा विशेष परिस्थिति निर्मित होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी सूचना के वाहन स्टैण्ड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
09. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कमी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना होगा।
10. वाहन स्टैण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति, जिसमें जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। उक्त निराकरण अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा उसके विरुद्ध कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
11. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

12. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
13. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय में द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टैण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जावेगा।
14. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जोकि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदन कराने के उपरांत ही कर सकेगा। किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।
15. निविदाकर्ता ठेकेदार वाहन स्टैण्ड की साफ सफाई के लिए कम से कम 06 कर्मचारी नियुक्त करेगा तथा सफाई कर्मचारियों के नाम कार्यालय को देगा।
16. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा, किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण ही क्यों ना हो, नहीं करेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस 100 रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
17. प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा, जिससे पक्षकारगण तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो तथा सार्वजनिक या अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग ना तो स्वयं करेगा ना अन्य को करने देगा।
18. सामान्यतः प्रथम पक्ष दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिए अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा

:-


- | | |
|----------------------|---|
| (ए) साईकिल— | रुपए 05/- प्रतिदिन अथवा रुपए 50/- प्रतिमाह |
| (बी) दो पहिया वाहन— | रुपए 10/- प्रतिदिन अथवा रुपए 100/- प्रतिमाह |
| (सी) चार पहिया वाहन— | रुपए 20/- प्रतिदिन अथवा रुपए 200/- प्रतिमाह |

(डी) न्यायिक अधिकारीगण/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं अभिभाषकगण को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सूचना पटल पर, जिला न्यायालय के दोनों गेट पर तथा टेकेदार के बैठने वाले स्थान पर लगाना होगा।

19. प्रथम पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सम्यतापूर्वक व्यवहार करेगा साथ वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का रहेगा।
20. प्रथम पक्ष वाहन स्थान के संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित कराई जावेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।
21. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नहीं रखेगा, अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा 500 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
22. स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
23. साईकिल/मोटर साईकिल/कार स्टैण्ड के किसी भी भाग को रहने अथवा अन्य किसी कार्य के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा ऐसे किसी कार्य के लिये उपयोग में नही लिया जावेगा, जिसका संबंध वाहन स्टैण्ड रखने से नहीं है। वाहन स्टैण्ड एवं आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखने का उत्तरदायित्व टेकेदार का होगा।
24. साईकिल/मोटर साईकिल/कार स्टैण्ड जिला न्यायालय के अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन 9:00 बजे प्रातः से शाम 7:00 बजे तक के लिये या अन्य ऐसे समय तक जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित किया जावेगा, खुला रहेगा। निविदाकर्ता न्यायालयीन सुरक्षा तथा अनुशासन का पूर्णतः पालन करेगा।
25. वाहन स्टैण्ड जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा तथा अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
26. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जा सकेंगे उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता माने हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

27. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी के साथ निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्ण शर्तों का उल्लंघन करने या विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
29. कार्यालय जिला न्यायालय जबलपुर (द्वितीय पक्ष) को यह अधिकार रहेगा कि निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।


19.12.2019
वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म.प्र.